फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बगदीराम
बनाम
विपक्षी : श्री नारायण

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
पत्रावली संख्या : 217/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 13.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 का हित निहित होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध पुर्व में की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने पर सहमती जताई। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 96 की आराजी नम्बर 187 श.न. 205, 216 श.न. 223, 224, 217 श.न. 219, 220, 221, 222, 591 श.न. 592, 814, 815, 816 किता 7 रकबा 7 बिघा भूमि में भू–प्रबंन्धन के बाद नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली [illegible] सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested